रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 1998/ज्येष्ठ 26, 1920

No. 373] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 1998/JYAISTHA 26, 1920

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 1998

का.आ. 512 (अ).—केंद्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन धुलियन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडयूस एक्सचेंज लि. आगरा द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

(क) व्यापरिक आयात में कम से कम 1994-95 के स्तर तक सुधार करना।

(ख) सक्रिय व्यापारिक सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना।

(ग) जमानत जमा राशि और मार्जिन दरों में उपयुक्त वृद्धि करके एक्सचेंज में किए गए संविदाओं के व्यापार की सुरक्षा में सुधार करना।

(घ) वार्षिक चंदा, संव्यवहार शुल्क इत्यादि में वृद्धि करके एक्सचेंज की वित्तीय स्थिति में सुधार करना।

(ङ) एक्सचेंज में व्यापार के लिए एक उपयुक्त ट्रेडिंग रिंग की व्यवस्था।

(च) संव्यवहारों की तुरन्त रिपोर्टिंग तथा उप पर साथ-साथ कार्यवाही करने के लिए बुनियादी सुविधाएं (साफ्टवेयर के साथ संगणक अर्जित करना तथा लगाना), ताकि जब दिन की समाप्ति पर व्यापार खत्म हो जाए तो विभिन्न सदस्यों के क्लियरिंग विवरण, प्रचालकों की खुली स्थिति, देय मार्जिन आदि का पता लग सके जिससे अगले दिन व्यापार शुरू होने पर एक्सचेंज, राशि प्राप्त कर सके या भुगतान कर सके।

(छ) एक्सचेंज के प्रबंधन और प्रशासन को मजबूत बनाना ताकि एक्सचेंज के कार्य को प्रभावी रूप से मॉनीटर और विनियमित किया जा सके।

(ज) यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यापार अनुमोदित उपविधियों और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 और अग्रिम संविदा (विनियमन) नियम, 1954 के अंतर्गत ही किया जाए।

[फा. सं. 12/8/आई टी/95]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD & CONSUMER AFFAIRS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1998

S.O. 512(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contract (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Bullion and Agricultural Produce Exchange Ltd., Agra and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period ending the 31st March, 1999, in respect of forward contracts in gur.

2 The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with the following and such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

(a) Improve the volume of trading to bring it to at least the level which was prevailing in 1994-95.

(b) Increase the number of active trading members.

(c) Improve the security if the contracts traded in the Exchange by suitable increase in the rates of margin and security deposits.

(d) Improve the financial position of the Exchange by increase in the annual subscription, transaction fee, etc.

(e) Provide a proper trading ring for trading in the Exchange.

(f) Acquire and install infrastructure facilities (computer along with software) for immediate reporting of transactions entered into and their simultaneous processing so that by the time trade is over at the end of the day, the clearing statement, open position of operators, margins payable etc. by various members are known and the amount can be received or paid by the Exchange by the time trading commences on the next day.

(g) Strengthen the management and administration of Exchange to be able to effectively monitor and regulate the functioning of the Exchange.

(h) Ensure that trading is carried out strictly in terms of approved bye-law as well as the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 and the Forward Contracts (Regulations) Rules, 1954.

[File No. 12/8/IT/95]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.